International Journal for Research Technology and Seminar
ISSN: 2347-6117 (Print) | ISSN: 3048-703X (Online)
International | Peer-reviewed | Refereed | Indexed Journal
Volume 28 | Issue 02 | Jan-Jun 2025

हरियाणा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध : जींद जिले का भौगोलिक अध्ययन

[1]Vijender Kumar*, [2]Dr. Satyaveer Yadav

[1]*Research Scholar, Baba Mastnath Uniersity, Asthal Bohar (Rohtak)), Haryana, India*

[2]*Professor of Geography, Baba Mastnath Uniersity, Asthal Bohar (Rohtak)), Haryana, India*

Email ID: vm151274@gmail.com

Accepted: 03.02.2025 **Published**: 14.02.2025

मुख्य शब्दः हरियाणा, जींद, महिला, अपराध।

शोध आलेख सार

यह अध्ययन हरियाणा के जींद जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के विश्लेषण पर केंद्रित है। हरियाणा, जो अपनी समृद्ध संस्कृति और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की चिंताजनक दर के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न कारकों को समझना है जो इस क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा और स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। अध्ययन में जींद जिले की 503 महिलाओं का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। प्राथमिक सर्वेक्षण का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों के निर्धारकों की पहचान करना था। परिवार की संरचना, आयु, शिक्षा, और वैवाहिक स्थिति जैसे निर्धारकों का प्रभाव शामिल किया गया है। परिणामों से पता चलता है कि विवाहित महिलाओं को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जबकि महिलाओं की शिक्षा में सुधार होने के बावजूद सामाजिक मान्यताएँ और पारंपरिक सोच अभी भी बाधक बनी हुई हैं। अध्ययन के निष्कर्ष यह सुझाव देते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए सरकारी उपायों के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता और शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा, स्थानीय संगठनों और सरकारी योजनाओं को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, यह अध्ययन जींद जिले में महिलाओं की स्थिति को समझने और सुधारने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

A Venture of IJRTS Takshila Foundation

International Journal for Research Technology and Seminar
ISSN: 2347-6117 (Print) | ISSN: 3048-703X (Online)
International | Peer-reviewed | Refereed | Indexed Journal
Volume 28 | Issue 02 | Jan-Jun 2025

पहचान निशान

**Corresponding Author*

© International Journal for Research Technology and Seminar, Vijender Kumar, All Rights Reserved.

परिचय

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो दुनिया भर के देशों में व्यापक रूप से देखा जाता है। ये अपराध विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव तस्करी, दहेज उत्पीड़न, और अन्य प्रकार की हिंसा (अब्रूनहोसा एट अल., 2021)। इन अपराधों का मुख्य कारण सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक हैं, जो महिलाओं की स्थिति को कमजोर बनाते हैं (वैन विलिगन और चन्ना, 1991)। पारंपरिक मान्यताएँ और लिंग आधारित भेदभाव अक्सर इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देते हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों को खतरा उत्पन्न होता है (कालरा और भुगरा, 2013)। भारत में भी महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक गंभीर और व्यापक समस्या है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक कारणों के चलते यह समस्या बनी हुई है (हिमाबिन्दु एट अल., 2014)। भारत में पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के कारण महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कमतर माना जाता है, जिससे महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा मिलता है (विश्वनाथ और पलाकोंडा, 2011)। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की कमी महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी का कारण बनती है (कुमार और कुंचाराम, 2020)। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए उचित और कठोर कानूनी कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों में डर नहीं होता और वे बार–बार ऐसे अपराध करते हैं (सुखतंकर एट अल., 2022)। महिलाओं की आर्थिक निर्भरता उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने से रोकती है और वे हिंसा और अत्याचार को सहन करने पर मजबूर होती हैं (मैती और रॉय, 2021)। परिवार और समुदाय के दबाव के कारण महिलाएं अपने साथ हो रहे अपराधों की शिकायत नहीं कर पातीं और उन्हें चुप रहना पड़ता है।

भारत में कुछ प्रमुख क्षेत्र जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध अधिक होते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं। इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएँ अधिक पाई जाती हैं (चक्रवर्ती एट अल. , 2021)। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर होती है। राजस्थान में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएँ अधिक देखी जाती हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में (सिंह और चौधरी, 2019)। देश की राजधानी दिल्ली में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएँ चिंता का विषय हैं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएँ अधिक पाई जाती हैं (सतीजा और दत्ता, 2015)। महिलाओं के

खिलाफ अपराधों को कम करने के लिए समाज को पितृसत्तात्मक सोच से बाहर आना होगा और महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देना होगा। इसके साथ ही, कानून को सख्ती से लागू करना और अपराधियों को कठोर सजा देना भी जरूरी है।

हरियाणा, भारत का एक प्रमुख राज्य, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और कृषि उत्पादन के लिए विख्यात है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की बढ़ती दर के लिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है (पाल, 2018)। पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। इन अपराधों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, और अश्लील संदेश भेजने जैसे मामले प्रमुख हैं (ढींगरा, 2020)। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की दर राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है, जो राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती है। हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति भी चिंताजनक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य में लिंगानुपात 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था, जो राष्ट्रीय औसत 943 से काफी कम है (भारत की जनगणना, 2011)। यह असमानता समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देती है। पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण महिलाओं को अक्सर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्रभावित करता है (कुमार और गुप्ता, 2017)। इस संदर्भ में, यह अध्ययन हरियाणा के जींद जिले में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की स्थिति का विश्लेषण करने का एक प्रयास है ।

अध्ययन क्षेत्र

जींद जिला हरियाणा में स्थित है और इसकी सीमाएँ पंजाब के पटियाला और संगरूर जिलों से लगी हुई हैं। इसका कुल क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 2626.74 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र और 75.26 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। जींद जिले की कुल जनसंख्या 1,334,152 है, जिसमें 713,006 पुरुष और 621,146 महिलाएँ शामिल हैं। लिंग अनुपात 871 है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 868 और शहरी क्षेत्रों में 881 है। साक्षरता दर कुल 71.44% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 80.81% और महिलाओं की साक्षरता 60.76% है। जिले में 2011 में कुल 523,422 व्यक्ति कार्यरत थे, जिसमें से 430,161 ग्रामीण क्षेत्र में और 93,261 शहरी क्षेत्र में रहते थे।

Publications
A Venture of IJRTS Takshila Foundation

अन्वेषण विधि

इस अध्ययन के लिए डेटा का संकलन विभिन्न स्रोतों से किया गया है। 2013 से 2022 तक महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों का मुख्य डेटा पुलिस अधीक्षक, जींद से प्राप्त किया गया है । इसके अलावा, एक प्राथमिक सर्वेक्षण भी जींद जिले के 503 महिलाओं पर किया गया था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य महिलाओं के द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न अपराधों और समस्याओं को समझना था। सर्वेक्षण में विभिन्न आयु

समूहों, परिवार की संरचना, और व्यवसायिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को शामिल किया गया था। प्राथमिक सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रमुख निर्धारकों की पहचान की जा सके। इसके अलावा, विभिन्न निर्धारकों का विश्लेषण किया गया है जैसे आयु, शिक्षा, परिवार की संरचना, वैवाहिक स्थिति, और रोजगार स्थिति। इस विधि का उपयोग करके, अध्ययन में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है।

परिणाम

हरियाणा के जींद जिले में महिलाओं की स्थिति कई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं के प्रभाव में है। इस जिले में महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर धीरे–धीरे सुधर रहा है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। जींद में महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ गई है, लेकिन पारंपरिक सोच और सामाजिक मान्यताएं अभी भी उनकी शिक्षा में बाधक होती हैं (सिंह, 2015)। आर्थिक दृष्टि से, जींद जिले में महिलाएं कृषि और छोटे व्यवसायों में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें अक्सर समान वेतन और अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इसके अलावा, घरेलू कार्य और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाती हैं। सामाजिक दृष्टि से, जींद में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न के मामले होते हैं। हालांकि, कुछ स्थानीय संगठन और सरकारी योजनाएं महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक बाधाएं अभी भी एक बड़ी चुनौती हैं।

तालिका 1: जींद जिले में महिला के विरुद्ध कुल अपराध (2013–2022)

क्रमांक	शीर्षक	महिला के विरुद्ध कुल अपराध
1	बलात्कार	337
2	दहेज प्रताड़ना	1489
3	दहेज हत्या	107
4	छेड़छाड़	660
5	अपहरण	82
6	पोक्सो एक्ट	617
कुल		**3292**

स्रोतः उप पुलिस अधीक्षक, जींद

जींद जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति चिंताजनक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अपराधों की संख्या पिछले वर्षों में बढ़ी है। 2013 से 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, जिले में महिलाओं के खिलाफ कुल 3292 अपराध दर्ज किए गए (तालिका 1)। इनमें सबसे अधिक संख्या दहेज प्रताड़ना के मामलों की है, जो 1,489 तक पहुंची है। यह आंकड़ा महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और सामाजिक

कुरीतियों की गंभीरता को दर्शाता है। इसके अलावा, जिले में छेड़छाड़ के 660 मामले और पोक्सो एक्ट के तहत 617 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े न केवल महिलाओं के खिलाफ हिंसा की गंभीरता को दर्शाते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि युवा लड़कियाँ भी इस प्रकार के अपराधों का शिकार हो रही हैं। इसके अलावा, बलात्कार के 337 मामले दर्ज किए गए, जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दहेज हत्या के 107 मामले भी महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा की भयावहता को उजागर करते हैं।अपहरण के 82 मामले भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाते हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जींद जिले में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर न केवल सामाजिक सुरक्षा को चुनौती देती है, बल्कि यह समाज में महिलाओं की स्थिति को भी प्रभावित कर रही है।

इस संदर्भ में हरियाणा के जींद जिले में एक प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 503 महिलाओं को शामिल किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न अपराधों और समस्याओं को समझना था। यह प्राथमिक सर्वेक्षण 5 विभिन्न आयु समूहों और विविध पृष्ठभूमि, पारिवारिक संरचना और व्यावसायिक संरचनाओं की महिलाओं के साथ आयोजित किया गया। सर्वेक्षण का लक्ष्य जींद जिले में महिलाओं के बीच असुरक्षा के स्तर और उनके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न अपराधों की पहचान करना था। जींद जिले में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और अपराध की दर को लेकर प्राथमिक सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि स्थिति ब्लॉक के अनुसार भिन्न है। कुल 503 महिलाओं पर किए गए सर्वेक्षण में, 13.32 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही, जबकि 6.36 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित थीं (तालिका 2)। यदि ब्लॉक स्तर पर देखें, तो नरवाना में अपराध से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक (25 प्रतिशत) है। हालांकि, इस ब्लॉक में सर्वेक्षण में केवल 8 महिलाओं को शामिल किया गया था, इसलिए यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम नमूने के आकार से प्रभावित हो सकता है। इसके विपरीत, पिल्लू खेड़ा में अपराध से पीड़ित महिलाओं का प्रतिशत सबसे कम (1.25 प्रतिशत) है, जहां 80 महिलाओं को सर्वेक्षण में शामिल किया गया था।

तालिका 2: जींद जिले के विभिन्न ब्लॉकों में महिलाओं की समस्याएँ और अपराध के दर

क्रमांक	ब्लॉक	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	अलेवा	22	5	22.73	2	9.09

2	जींद	214	28	13.08	12	5.60
3	जुलाना	97	12	12.37	9	9.28
4	नरवाना	8	1	12.50	2	25.00
5	पिल्लू खेड़ा	80	5	6.25	1	1.25
6	सफीदों	18	3	16.67	2	11.11
7	उचाना	64	13	20.31	4	6.25
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं के प्रतिशत के मामले में, उचाना ब्लॉक सबसे आगे है, जहां 20. 31 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही। वहीं, पिल्लू खेड़ा में यह प्रतिशत सबसे कम (6.25 प्रतिशत) है। अन्य ब्लॉकों की बात करें तो, अलेवा में 22.73 प्रतिशत, सफीदों में 16.67 प्रतिशत, जींद में 13.08 प्रतिशत और जुलाना में 12.37 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही। सर्वेक्षण के ये आंकड़े बताते हैं कि जींद जिले में महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। खासकर उन ब्लॉकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जहां अपराध और समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है।

जींद जिले में विभिन्न आयु वर्गों की महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और अपराधों के आंकड़ों के माध्यम से हम सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों और इन महिलाओं के द्वारा झेले गए कष्टों की गहराई से समझ सकते हैं। सबसे पहले, 18 वर्ष और उससे कम आयु वर्ग की 38 महिलाएं हैं, जिनमें से 7 (18.42 प्रतिशत) समस्याओं का सामना करती हैं, और 2 (5.26 प्रतिशत) अपराध की शिकार हुई हैं (तालिका 3)। यह दर्शाता है कि इस आयु वर्ग की युवा लड़कियों को शुरुआती जीवन में ही शैक्षिक, पारिवारिक या सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है। इस आयु वर्ग में अपराध की दर अन्य आयु वर्गों की तुलना में कम है, लेकिन फिर भी यह युवा लड़कियों की संवेदनशीलता को दर्शाता है। 19–28 आयु वर्ग में सबसे अधिक महिलाएं (394) हैं, जिनमें से 47 (11.93 प्रतिशत) महिलाएं समस्याओं का सामना करती हैं, और 20 (5.08 प्रतिशत) महिलाएं अपराध की शिकार हुई हैं। यह आयु वर्ग महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उच्च शिक्षा, कैरियर की शुरुआत, या विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव होता है। आंकड़े बताते हैं कि यद्यपि समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं का प्रतिशत थोड़ा कम है, लेकिन संख्या में वृद्धि है। अपराध की दर भी चिंता का विषय है, जिससे इस आयु वर्ग की महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपायों की आवश्यकता है।

तालिका 3: जींद जिले में आयु वर्ग के अनुसार समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	आयु वर्ग	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	18 वर्ष और उससे कम	38	7	18.42	2	5.26
2	19–28	394	47	11.93	20	5.08
3	29–38	17	2	11.76	2	11.76
4	39–48	35	7	20.00	6	17.14
5	48 से ऊपर	19	4	21.05	2	10.53
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

29–38 आयु वर्ग में 17 महिलाएं हैं, जिनमें से 2 (11.76 प्रतिशत) समस्याओं का सामना करती हैं, और समान संख्या (11.76 प्रतिशत) अपराध की शिकार हुई हैं। यद्यपि इस आयु वर्ग की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है, लेकिन समस्याओं और अपराध का सामना करने वाली महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। यह दर्शाता है कि कैरियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ–साथ भेदभाव या हिंसा की संभावना भी अधिक है। 39–48 आयु वर्ग में 35 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 7 (20.00 प्रतिशत) समस्याओं का सामना करती हैं, और 6 (17.14 प्रतिशत) महिलाएं अपराध की शिकार हुई हैं। यह आयु वर्ग अपराध पीड़िततता की उच्चतम दर को दर्शाता है। यह संकेत करता है कि इस आयु वर्ग की महिलाएं, जो अक्सर अपने कैरियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चरम पर होती हैं, अपराध के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, वित्तीय अस्थिरता, या सामाजिक कलंक हो सकती हैं, जिनका समाधान विशेष हस्तक्षेपों के माध्यम से किया जाना चाहिए। अंततः, 48 और उससे ऊपर के आयु वर्ग में 19 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें से 4 (21.05 प्रतिशत) समस्याओं का सामना करती हैं, और 2 (10.53 प्रतिशत) महिलाएं अपराध की शिकार हुई हैं। यह आयु वर्ग समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं का उच्चतम प्रतिशत दर्शाता है, जो यह दर्शाता है कि वृद्ध महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, सामाजिक समर्थन की कमी, या आर्थिक निर्भरता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन आंकड़ों से यह

स्पष्ट होता है कि जींद जिले में महिलाओं को विभिन्न आयु समूहों में अलग–अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहां 39–48 वर्ष की महिलाओं को अपराध का खतरा अधिक है, वहीं 48 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 19–28 वर्ष की महिलाएं अपेक्षाकृत रूप से कम समस्याओं और अपराध का शिकार होती हैं।

महिलाओं की शैक्षिक योग्यता के आधार पर समस्याओं और अपराध की दर को लेकर किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। शैक्षिक योग्यता के अनुसार, स्नातकोत्तर (पी.जी.) शिक्षा प्राप्त महिलाओं में समस्याओं (27. 27 प्रतिशत) और अपराध (18.18 प्रतिशत) दोनों का प्रतिशत सबसे अधिक पाया गया (तालिका 4)। निरक्षर महिलाओं में भी समस्याओं का प्रतिशत (27.27 प्रतिशत) स्नातकोत्तर महिलाओं के बराबर ही रहा, लेकिन अपराध का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम (4.54 प्रतिशत) रहा। उच्चतर शिक्षा प्राप्त महिलाओं में अपराध की दर सबसे कम (2.31 प्रतिशत) रही, जबकि समस्याओं का सामना करने का प्रतिशत 6.36 प्रतिशत दर्ज किया गया।

तालिका 4: जींद जिले में महिलाओं की शैक्षिक योग्यता के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	शैक्षिक योग्यता	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	प्राथमिक	43	8	18.60	5	11.63
2	माध्यमिक	54	8	14.81	5	9.26
3	उच्चतर	173	11	6.36	4	2.31
4	डिग्री	178	25	14.04	11	6.18
5	पी.जी.	33	9	27.27	6	18.18
6	निरक्षर	22	5	27.27	1	4.54
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

प्राथमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में 18.60 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही और 11.63 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित थीं। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में ये आंकड़े क्रमशः

14.81 प्रतिशत और 9.26 प्रतिशत रहे, जबकि डिग्री प्राप्त महिलाओं में 14.04 प्रतिशत ने समस्याओं और 6. 18 प्रतिशत ने अपराध का सामना करने की बात कही। यह ध्यान देने योग्य है कि स्नातकोत्तर और निरक्षर महिलाओं में समस्याओं का उच्च प्रतिशत एक चिंता का विषय है, जबकि उच्चतर शिक्षा प्राप्त महिलाओं में अपराध की दर कम होना सकारात्मक संकेत है। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शिक्षा का स्तर समस्याओं और अपराध से सीधा संबंध नहीं है, और अन्य सामाजिक और आर्थिक कारक भी महिलाओं के जीवन में चुनौतियों और असुरक्षा को प्रभावित करते हैं।

तालिका 5: जींद जिले में परिवार के प्रकार के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	परिवार का प्रकार	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	संयुक्त	297	33	11.11	12	4.04
2	नाभिकीय	199	32	16.08	18	9.04
3	टूटी हुई (कोई नहीं)	7	2	28.57	2	28.57
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जींद जिले में परिवार के प्रकार के आधार पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और अपराध के संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि पारिवारिक संरचना का महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक संरचना के अनुसार विश्लेषण करने पर, ''टूटी हुई (कोई नहीं)'' श्रेणी की महिलाओं में समस्याओं और अपराध दोनों की दरें सबसे अधिक पाई गईं, जो क्रमशः 28.57 प्रतिशत रहीं (तालिका 5)। हालांकि, इस श्रेणी में सर्वेक्षण में शामिल महिलाओं की संख्या केवल 7 थी, इसलिए यह परिणाम छोटे नमूने आकार से प्रभावित हो सकता है। नाभिकीय परिवारों की महिलाओं में 16.08 प्रतिशत समस्याओं का सामना करने और 9.04 प्रतिशत अपराध से पीड़ित होने की दर रही, जो संयुक्त परिवारों की तुलना में अधिक है। संयुक्त परिवारों में, 11.11 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही और 4.04 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित पाई गईं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि संयुक्त

परिवारों की तुलना में नाभिकीय परिवारों और ''टूटी हुई'' श्रेणी के परिवारों की महिलाओं को अधिक चुनौतियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।

तालिका 6: जींद जिले में भाइयों की संख्या के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	भाइयों की संख्या	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	कोई नहीं	36	5	13.89	2	5.55
2	1	310	41	13.22	16	5.16
3	2	119	15	12.61	10	8.40
4	3	24	3	12.50	4	16.66
5	3 से ज्यादा	14	3	21.43	0	0
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जींद जिले में भाइयों की संख्या के आधार पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और अपराध के संबंध में प्राथमिक सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि भाइयों की संख्या का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षण के अनुसार, जिन महिलाओं के 3 भाई हैं, उनमें अपराध से पीड़ित होने का प्रतिशत सबसे अधिक (16.66 प्रतिशत) है (तालिका 6)। समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं का प्रतिशत उन महिलाओं में सबसे अधिक (21.43 प्रतिशत) है जिनके 3 से अधिक भाई हैं. जिन महिलाओं का कोई भाई नहीं है उनमें 13.89 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही और 5.55 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित पाई गयीं. एक भाई वाली महिलाओं में 13.22 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही और 5.16 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित हुईं, जबकि दो भाई वाली महिलाओं में 12.61 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही और 8.40 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित पाई गयीं । इन आंकड़ों के अनुसार, परिवार में भाइयों की उपस्थिति महिलाओं की सुरक्षा में कुछ हद तक सहायक हो सकती है, खासकर अधिक भाइयों वाले परिवारों में अपराध की दर कम देखी गई है।

तालिका 7: जींद जिले में बहनों की संख्या के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	बहनों की संख्या	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	कोई नहीं	107	12	11.21	3	2.80
2	1	118	12	10.17	6	5.08
3	2	124	23	18.55	15	12.09
4	3	83	8	9.64	4	4.82
5	3 से ज्यादा	71	12	16.90	4	5.62
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

बहनों की संख्या के अनुसार देखा जाएगा तो दो बहनें होने वाली महिलाओं में समस्याओं और अपराध दोनों की दरें सबसे अधिक हैं। इस समूह में, 18.55 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही, जबकि 12.09 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित पाई गईं (तालिका 8)। दूसरी ओर, जिन महिलाओं की कोई बहन नहीं है, उनमें अपराध की दर सबसे कम (2.80 प्रतिशत) है। अन्य श्रेणियों की बात करें तो, एक बहन वाली महिलाओं में 10.17 प्रतिशत ने समस्याओं और 5.08 प्रतिशत ने अपराध का सामना करने की बात कही, तीन बहनें वाली महिलाओं में 9.64 प्रतिशत ने समस्याओं और 4.82 प्रतिशत ने अपराध का सामना करने की बात कही, और तीन से अधिक बहनें वाली महिलाओं में 16.90 प्रतिशत ने समस्याओं और 5.62 प्रतिशत ने अपराध का सामना करने की बात कही। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि परिवार में बहनों की मौजूदगी से महिला सुरक्षा पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जिन महिलाओं के भाइयों की संख्या अधिक होती है, उन्हें किसी भी समस्या या अपराध का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है।

IJRTS Publications
A Venture of IJRTS Takshila Foundation

तालिका 8: जींद जिले में कार्यध्रोजगारध्व्यवसाय के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	कार्य	महिलाओं की	समस्याओं	समस्याओं	अपराध से	अपराध से

	रोजगार व्यवसाय	संख्या	का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	पीड़ित महिलाओं की संख्या	पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	सरकारी	24	1	4.16	2	8.33
2	निजी	49	11	22.45	7	14.28
3	हाउसवाइफ	84	17	20.24	10	11.90
4	कोई नहीं	346	38	10.99	13	3.76
कुल		**503**	**67**	**13.32**	**32**	**6.36**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

रोजगार की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं में समस्याओं का सामना करने का प्रतिशत सबसे अधिक (22.45 प्रतिशत) पाया गया, और इसी समूह में अपराध की दर भी सबसे अधिक (14. 28 प्रतिशत) रही (तालिका 8)। हाउसवाइफ (गृहिणी) महिलाओं में भी समस्याओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक (20.24 प्रतिशत) रहा, और अपराध की दर 11.90 प्रतिशत दर्ज की गई। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं में समस्याओं का प्रतिशत सबसे कम (4.16 प्रतिशत) रहा, लेकिन अपराध की दर 8.33 प्रतिशत पाई गई। जो महिलाएं किसी भी प्रकार के कार्य /रोजगारध्व्यवसाय में शामिल नहीं हैं, उनमें समस्याओं का प्रतिशत 10.99 प्रतिशत और अपराध का प्रतिशत 3.76 प्रतिशत रहा, जो कि सबसे कम है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रोजगार की स्थिति महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों और असुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को शायद काम के माहौल या अन्य कारकों के कारण अधिक समस्याओं और अपराध का सामना करना पड़ता है, जबकि जो महिलाएं किसी भी रोजगार में शामिल नहीं हैं, उनमें अपराध का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है।

तालिका 9: जींद जिले में वैवाहिक स्थिति के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	वैवाहिक स्थिति	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या

			संख्या	संख्या (प्रतिशत में)		(प्रतिशत में)
1	विवाहित	121	23	19.00	17	14.04
2	अविवाहित	382	44	11.52	15	3.93
कुल		503	67	13.32	32	6.36

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जींद जिले में वैवाहिक स्थिति के आधार पर महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं और अपराध पर किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि वैवाहिक स्थिति का महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाहित महिलाओं में समस्याओं का सामना करने का प्रतिशत 19.00 प्रतिशत पाया गया, जबकि अपराध से पीड़ित होने का प्रतिशत 14.04 प्रतिशत रहा। इसके विपरीत, अविवाहित महिलाओं में समस्याओं का सामना करने का प्रतिशत 11.52 प्रतिशत और अपराध से पीड़ित होने का प्रतिशत 3.93 प्रतिशत रहा (तालिका 9)। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि विवाहित महिलाओं में समस्याओं और अपराध दोनों की दरें अविवाहित महिलाओं की तुलना में काफी अधिक हैं। यह संभव है कि विवाहित महिलाओं को पारिवारिक जिम्मेदारियों, सामाजिक दबावों या घरेलू हिंसा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता हो, जिसके कारण वे अधिक समस्याओं और अपराध का शिकार होती हों। दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, और अपहरण जैसे अपराध विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं।

तालिका 10: जींद जिले में पति के व्यवसाय के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	पति का व्यवसाय	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	नियोजित	26	6	23.08	6	23.08
2	व्यवसाय	56	11	19.64	7	12.50
3	कृषि	28	5	17.86	3	10.71
4	बेरोजगार	11	1	9.09	1	9.09
कुल		121	23	19.01	17	14.05

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जींद जिले में पति के व्यवसाय और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं तथा अपराध के बीच संबंध को लेकर किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि जिन महिलाओं के पति नौकरी (नियोजित) करते हैं, उनमें समस्याओं और अपराध दोनों की दरें सबसे अधिक (23.08 प्रतिशत) हैं (तालिका 10)। इसके विपरीत, जिन महिलाओं के पति बेरोजगार हैं, उनमें समस्याओं और अपराध की दर सबसे कम (9.09:) पाई गई। जिन महिलाओं के पति व्यवसाय करते हैं, उनमें 19.64 प्रतिशत ने समस्याओं का सामना करने और 12.50 प्रतिशत ने अपराध का शिकार होने की जानकारी दी। कृषि कार्य करने वाले पतियों की पत्नियों में समस्याओं की दर 17.86 प्रतिशत और अपराध की दर 10.71 प्रतिशत रही।

तालिका 11: जींद जिले में बच्चों की संख्या के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	बच्चों की संख्या	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	कोई नहीं	20	2	10.00	1	5.00
2	1	20	7	35.00	4	20.00
3	2	50	5	10.00	5	10.00
4	3	23	7	30.43	6	26.09
5	3 से ज्यादा	8	2	25.00	1	12.50
कुल		**121**	**23**	**19.01**	**17**	**14.05**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जींद जिले में बच्चों की संख्या और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं तथा अपराध के बीच संबंध को लेकर किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण के नतीजों से पता चलता है कि बच्चों की संख्या का महिलाओं के जीवन पर जटिल प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं के 3 बच्चे हैं, उनमें अपराध से पीड़ित होने की दर सबसे अधिक (26.09 प्रतिशत) है, जबकि 1 बच्चा होने वाली महिलाओं में समस्याओं का सामना करने का प्रतिशत सबसे अधिक (35.00 प्रतिशत) है (तालिका 10)। इसके विपरीत, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, उनमें समस्याओं (10.00 प्रतिशत) और अपराध (5.00 प्रतिशत) दोनों की दरें सबसे कम हैं। दो बच्चों वाली महिलाओं में समस्याओं की दर 10.00 प्रतिशत और अपराध की दर भी 10.00 प्रतिशत है। तीन से अधिक

बच्चों वाली महिलाओं में समस्याओं का प्रतिशत 25.00 प्रतिशत और अपराध का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत रहा। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं, वे अपेक्षाकृत कम समस्याओं और अपराध का शिकार होती हैं।

तालिका 12: जींद जिले में सासध्ससुर की स्थिति के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	सास ससुर	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	जिंदा	87	14	16.09	10	11.49
2	मृत	28	8	28.57	7	25.00
3	परिवार से अलग	6	1	16.66	0	0
कुल		**121**	**23**	**19.01**	**17**	**14.05**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

जींद जिले में सास/ससुर की स्थिति और महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं तथा अपराध के बीच संबंध को लेकर किए गए प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सास/ससुर की उपस्थिति या अनुपस्थिति का महिलाओं के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जिन महिलाओं के सास/ससुर की मृत्यु हो चुकी है, उनमें समस्याओं का प्रतिशत सबसे अधिक (28.57 प्रतिशत) और अपराध की दर भी सबसे अधिक (25.00 प्रतिशत) है (तालिका 11)। इसके विपरीत, जो महिलाएं अपने सास/ससुर से अलग रहती हैं, उनमें अपराध की कोई घटना दर्ज नहीं की गई, हालांकि 16.66 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने की बात कही। जिन महिलाओं के सास/ससुर जीवित हैं, उनमें 16.09 प्रतिशत ने समस्याओं का सामना करने की बात कही और 11.49 प्रतिशत महिलाएं अपराध से पीड़ित पाई गईं। इन निष्कर्षों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सास/ससुर की मृत्यु के बाद महिलाओं को सामाजिक समर्थन की कमी, संपत्ति विवाद, या अन्य पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे वे अधिक समस्याओं और अपराध का शिकार होती हैं। जो महिलाएं अपने सास/ससुर से अलग रहती हैं, वे शायद पारिवारिक कलह से दूर रहती हैं, जिससे अपराध का खतरा कम हो जाता है।

तालिका 13: जींद जिले में ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों की स्थिति के आधार पर समस्याओं का सामना करने वाली महिलाएं और अपराध से पीड़ित महिलाओं का दर

क्रमांक	ससुराल पक्ष का अन्य कोई सदस्य /अन्य परिवार सदस्य जो कोई साथ मे रहता है	महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या	समस्याओं का सामना करने वाली महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या	अपराध से पीड़ित महिलाओं की संख्या (प्रतिशत में)
1	जेठ	25	3	12.00	3	12.00
2	देवर	21	3	14.28	0	0
3	ननद	4	0	0	0	0
4	अन्य	71	17	23.94	14	19.72
कुल		**121**	**23**	**19.01**	**17**	**14.05**

स्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण

सर्वेक्षण के नतीजों के अनुसार ये भी पता चला की जिन महिलाओं के साथ ससुराल पक्ष के ''अन्य'' सदस्य (जैसे दूर के रिश्तेदार) रहते हैं, उनमें समस्याओं का प्रतिशत सबसे अधिक (23.94 प्रतिशत) और अपराध की दर भी सबसे अधिक (19.72 प्रतिशत) है। जिन महिलाओं के साथ जेठ रहते हैं, उनमें 12.00 प्रतिशत महिलाओं ने समस्याओं का सामना करने और 12.00 प्रतिशत महिलाओं ने अपराध का शिकार होने की जानकारी दी। देवर के साथ रहने वाली महिलाओं में 14.28 प्रतिशत ने समस्याओं का सामना करने की बात कही, लेकिन इस समूह में अपराध की कोई घटना दर्ज नहीं की गई। जिन महिलाओं के साथ ननद रहती हैं, उनमें समस्याओं और अपराध दोनों की दर शून्य पाई गई। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि ससुराल पक्ष के कुछ सदस्यों की उपस्थिति महिलाओं के लिए तनावपूर्ण या असुरक्षित माहौल बना सकती है जिससे उन्हें अधिक समस्याओं और अपराध का सामना करना पड़ता है।

कुल मिलाकर, यह सर्वेक्षण जींद जिले में महिलाओं की जटिल सामाजिक–आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आयु, शिक्षा, पारिवारिक संरचना, रोजगार, वैवाहिक स्थिति और ससुराल पक्ष के सदस्यों की उपस्थिति जैसे कारक महिलाओं के जीवन में आने वाली चुनौतियों और असुरक्षा को प्रभावित करते हैं। इन निष्कर्षों के

आधार पर, जींद जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए लक्षित कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

हरियाणा के जींद जिले में महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों को समझने के लिए, अध्ययन में विभिन्न निर्धारकों की गहराई से जांच की गई है। इन निर्धारकों में आयु, शिक्षा, परिवार की संरचना, वैवाहिक स्थिति, और रोजगार स्थिति शामिल हैं। आयु वर्ग के अनुसार, अध्ययन में पाया गया कि 39 से 48 वर्ष की महिलाओं को अपराधों का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, जबकि 48 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के स्तर के अनुसार, स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त महिलाओं में समस्याओं और अपराधों की दर सबसे अधिक पायी गई, जबकि उच्चतर शिक्षा प्राप्त महिलाओं में अपराध की दर सबसे कम पायी गई। परिवार की संरचना के अनुसार, नाभिकीय परिवारों में महिलाओं को अधिक समस्याओं और अपराधों का सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवारों में इनकी दर कम होती है। वैवाहिक स्थिति के अनुसार, विवाहित महिलाओं में समस्याओं और अपराधों की दर सबसे अधिक होती है, जबकि अविवाहित महिलाओं में इनकी दर कम होती है। रोजगार स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं में समस्याओं और अपराधों की दर सबसे अधिक होती है, जबकि किसी भी रोजगार में न होने वाली महिलाओं में इनकी दर कम होती है। इन निर्धारकों के आधार पर, यह स्पष्ट होता है कि जींद जिले में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों को समझने और सुधारने की आवश्यकता है।

हरियाणा सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कुछ पहल की है, जैसे कि महिला हेल्पलाइन, सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला थानों की स्थापना। इनके माध्यम से महिलाओं को तत्काल सहायता और कानूनी सलाह प्रदान की जाती है। इसके अलावा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए और अधिक सख्त कानूनी प्रावधान और सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच को बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही, पुलिस और न्यायिक प्रणाली में सुधार करके महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना चाहिए। केवल सरकारी प्रयासों से ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने और उनके अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

अब्रुनहोसा, सी., डी कास्त्रो रोड्रिग्स, ए., क्रूज, ए. आर., गोंकाल्वेस, आर. ए., और कुन्हा, ओ. (2021)। महिलाओं के विरुद्ध अपराधः हिंसा से लेकर हत्या तक। जर्नल ऑफ इंटरपर्सनल वायलेंस, 36(23–24), एनपी12973–एनपी12996।

चक्रवर्ती, सी., आफरीन, ए., और पाल, डी. (2021)। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधः एक राज्य स्तरीय विश्लेषण। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन स्टडीज, 22(5), 1–18।

ढींगरा, एन. (2020). भारतीय संदर्भ में पंजाब और हरियाणा राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध का तुलनात्मक अध्ययन। एसीएफए के वाणिज्य विभाग का एनविजन जर्नल, 14।

हिमाबिंदु, बी.एल., अरोड़ा, आर., और प्रशांत, एन.एस. (2014)। आखिर यह समस्या किसकी है? भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध. वैश्विक स्वास्थ्य कार्रवाई, 7(1), 23718.

कालरा, जी., और भुगरा, डी. (2013)। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसाः अंतर–सांस्कृतिक अंतर्विरोधों को समझना। इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री, 55(3), 244–249।

कुमार, ए., और गुप्ता, आर. (2017)। हरियाणा में लैंगिक समानता हासिल करनाः महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए पुरुषों को संवेदनशील बनाना। विकासशील समाजों में लिंग अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 2(3), 177–206।

कुमार, एस., और कुंचाराम, एस. आर. (2020)। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए जिम्मेदार महिला सशक्तिकरण के निर्धारक। हिंसा और लिंग, 7(4), 182–187.

मैती, एस., और रॉय, एस. (2021)। महिलाओं के खिलाफ अपराध के निर्धारकों की वृद्धि और पहचान का विश्लेषणः भारत से अंतर्दृष्टि। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल वुमेन स्टडीज, 22(1), 293–311।

पाल, जी.सी. (2018)। हरियाणा में जाति–लिंग अंतर्विरोध और अत्याचारः उभरते पैटर्न और राज्य की प्रतिक्रियाएँ। जर्नल ऑफ सोशल इंक्लूजन स्टडीज, 4(1), 30–50।

सतीजा, एस., और दत्ता, ए. (2015)। दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधः माध्यमिक और अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 87–97.

सिंह, डी., और चौधरी, बी.एल. (2019)। राजस्थान के विशेष संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध अपराध। आईपी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल साइंसेज, 4(4), 143–145।

सुखतंकर, एस., क्रुक्स–विस्नर, जी., और मंगला, ए. (2022)। पितृसत्ता में पुलिसिंगः भारत में महिलाओं के प्रति पुलिस की जवाबदेही में सुधार के लिए सुधारों का एक प्रयोगात्मक मूल्यांकन। विज्ञान, 377(6602), 191–198।

वैन विलिगन, जे., और चन्ना, वी.सी. (1991)। कानून, प्रथा और महिलाओं के खिलाफ अपराधः भारत में दहेज मृत्यु की समस्या। मानव संगठन, 50(4), 369–377.

विश्वनाथ, जे., और पालकोंडा, एस.सी. (2011)। भारत में सम्मान और सम्मान संबंधी अपराधों की पितृसत्तात्मक विचारधारा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस साइंसेज, 6(1)।

International Journal for Research Technology and Seminar
IJRTS
Publications
A Venture of IJRTS Takshila Foundation